SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR (Andhra Pradesh): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRIMATI VANDANA CHAVAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI M. MOHAMED ABDULLA (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. SANTANU SEN (West Bengal): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI JOSE K. MANI (Kerala): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. JOHN BRITTAS (Kerala): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

Need for age relaxation for the EWS category

डा. लक्ष्मीकांत बाजपेयी (उत्तर प्रदेश) : माननीय सभापति जी, आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं युवाओं से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण विषय यहाँ उठाना चाहता हूँ।

महोदय, जिस प्रकार से समाज के अनुसूचित वर्ग और पिछड़े वर्ग को आरक्षण की सुविधा संविधान प्रदत्त प्राप्त थी, उसी प्रकार से आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने आर्थिक आधार पर गरीब सवर्णों को भी 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की थी, लेकिन उस आरक्षण की व्यवस्था में एक बात की चूक हो गयी कि जिस प्रकार अन्य आरक्षणों में भी अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गयी है, वह 5 वर्ष की छूट इस आर्थिक आधार पर गरीब सवर्णों के आरक्षण में दी जाए, यह व्यवस्था होनी चाहिए थी। इसके लिए युवा लगातार माँग कर रहे हैं। देश के 7 राज्यों ने अपने यहाँ प्रशासनिक आदेश जारी करके यह सुविधा प्रदान कर दी है, लेकिन अन्य राज्य इसको नहीं दे रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से और इस सदन के माध्यम से इस महत्वपूर्ण विषय पर सरकार से यह प्रार्थना करना चाहता हूँ कि कृपा करके जिस प्रकार आपने आर्थिक आधार पर गरीब सवर्णों को आरक्षण देकर उनको भी ऊपर उठने में मदद प्रदान की है, उसी प्रकार उनके लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने के लिए केन्द्र सरकार आदेश जारी करे, यह मेरी प्रार्थना है।

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. SANTANU SEN (West Bengal): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI VINAY DINU TENDULKAR (Goa): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI JOSE K. MANI (Kerala): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI ABIR RANJAN BISWAS (West Bengal): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR (Andhra Pradesh): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

डा. सोनल मानसिंह (नाम निर्देशित) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से सम्बद्ध करती हूँ।

डा. अशोक बाजपेयी (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से सम्बद्ध करता हूँ।

श्री हरनाथ सिंह यादव (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से सम्बद्ध करता हूँ।

श्री बृजलाल (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से सम्बद्ध करता हूँ।

श्री नीरज शेखर (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से सम्बद्ध करता हूँ।

श्री विवेक ठाकुर (बिहार): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से सम्बद्ध करता हूँ।

श्री मिथलेश कुमार (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से सम्बद्ध करता हूँ।

श्रीमती दर्शना सिंह : (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से सम्बद्ध करती हूँ।

श्री अजय प्रताप सिंह (मध्य प्रदेश) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से सम्बद्ध करता हूँ।

श्रीमती रमिलाबेन बेचारभाई बारा (गुजरात) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से सम्बद्ध करती हूँ।

श्री जुगलसिंह लोखंडवाला (गुजरात) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से सम्बद्ध करता हूँ।

श्री नरेश बंसल (उत्तराखंड) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से सम्बद्ध करता हूँ।

Need for regularization of labourers working in Railway Godowns

श्री संजय सिंह (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली) : मान्यवर, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय, जो कि रेलवे के श्रमिकों से जुड़ा हुआ है, उसको सदन में रखने का मौका दिया है।

मान्यवर, रेलवे की सबसे बड़ी आय माल भाड़ा के माध्यम से, माल की ढुलाई के माध्यम से होती है। रेलवे के जो माल गोदाम हैं, उनमें पीढ़ी दर पीढ़ी, वर्षों से लाखों की संख्या में श्रमिक वहाँ पर काम करते हैं, जो माल की ढुलाई करते हैं, माल को लादते हैं। वहाँ जो ठेकेदार होते हैं, वे उन श्रमिकों का लम्बे समय से शोषण कर रहे हैं और वे उनको उनकी मजदूरी नहीं देते। उनकी मजदूरी की कोई नियत राशि निर्धारित नहीं है। यह प्रक्रिया वर्षों से चली आ रही है। उनका जो यूनियन है, उसके एक नेता मनोरंजन जी और तमाम श्रमिक कल मेरे पास आये थे। उनकी एक ही माँग है कि रेलवे के माल गोदाम में काम करने वाले जो श्रमिक हैं, जो रेल के माल भाड़े को बढ़ाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, अपना खून-पसीना बहाते हैं, ऐसे लोगों को कम से कम ठेकेदारों के शोषण से बचाया जाए और जो ठेकेदार श्रमिकों को उनकी मजदूरी नहीं देते, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से यह माँग करता हूँ कि वे इस ओर ध्यान दें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. SANTANU SEN (West Bengal): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.